कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी

:: विविध–आदेश ::

क्रमांक– 02 /एक–9–1/90 (भाग–1) सीधी, दिनांक : 06/01/2022

मैं अमिताभ मिश्र, सत्र न्यायाधीश, सीधी, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 10 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सत्र खण्ड सीधी के लिए उक्त कार्य से संबंधित पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए निम्न कार्य विभाजन पत्रक जारी करता हूं, जो दिनांक 06/01/2022 से प्रभावशील होगा:–

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार
1	2	3	4
1.	सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. इसमें इसके पश्चात वर्णित विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर समस्त सत्र व अन्य आपराधिक प्रकृति के प्रकरण। नोट : उक्त प्रकरणों में से महिलाओं के खिलाफ प्रकरण, जिनमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार सहित हत्या और उनसे संबंधित अपराध शामिल हैं, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना कमांक सी/4021 दिनांक 03.09.2019 के प्रकाश में इस हेतु नामांकित न्यायालय को सुनवाई हेतु भेजे जावेंगे। 2. म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 की धारा 13 के तहत प्रकरण। 3. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर शेष आपराधिक अपीलें। 4. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर शेष आपराधिक पुनरीक्षण। 5. तहसील रामपुर नैकिन को छोड़कर एवं विशेष न्यायालयों में सीधे प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदनों को छोड़कर समस्त जमानत आवेदन। 6. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व संबंधित अन्य कार्यवाहियां।
2.	विशेष न्यायाधीश अंतर्गत एस.सी.एस.टी. (पी.ए.) एक्ट, सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. सत्र खण्ड सीधी के अंतर्गत उत्पन्न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से सुनवाई योग्य प्रकरण। 3. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व संबंधित अन्य कार्यवाहियां।
3.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां।

क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार
1	2	3	4
	न्यायाधीश		2. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व संबंधित अन्य कार्यवाहियां।
4.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 3. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व संबंधित अन्य कार्यवाहियां।
5.	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व संबंधित अन्य कार्यवाहियां।
6.	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. माननीय रजिस्ट्री, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अधिसूचना कमांक बी/2299/तीन–06–06/84–II जबलपुर दिनांक 03.07.2020 तथा रजिस्ट्री ज्ञापन कमांक बी/2430/III–6–5/10 जबलपुर दिनांक 10.07.2020 के आलोक में सीधी जिले से उदभूत cases under POCSO Act 2012 and OAW cases i.e. offences of Rape, Gang - rape, Murder with rape & all other offences relating thereto. के अंतर्गत मामले। 3. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व संबंधित अन्य कार्यवाहियां।
7.	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायालय की हैसियत से प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 3. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व संबंधित अन्य कार्यवाहियां।
8.	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	सत्र खण्ड सीधी	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील,

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार
1	2	3	4
			आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों पर आगामी कार्यवाहियां। 2. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व संबंधित अन्य कार्यवाहियां।
9.	अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय रामपुर–नैकिन, जिला सीधी	थाना रामपुर–नैकिन	1. सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा समय–समय पर अंतरण पर भेजे गये सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण तथा जमानत आवेदनों में आगामी कार्यवाहियां। 2. विशेष न्यायालयों द्वारा सुनवाई योग्य प्रकरणों को छोड़कर थाना रामपुर नैकिन के समस्त सत्र, अन्य आपराधिक प्रकृति के प्रकरण व जमानत आवेदनों में कार्यवाहियां। 3. रामपुर नैकिन में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट्स द्वारा पारित निर्णयों एवं आदेशों की आपराधिक अपीलें तथा रिवीजन। 4. उक्त से उदभूत व उक्त न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत प्रकरणों से संबंधित विविध आपराधिक प्रकरण व संबंधित अन्य कार्यवाहियां।

//आवश्यक निर्देश //

1. सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अभियुक्त के पश्चातवर्ती जमानत आवेदन तथा सह अभियुक्तों के जमानत आवेदनों की सुनवाई उन्हीं न्यायाधीश द्वारा की जावेगी, जिन्होंने उस अपराध क्रमांक से संबंधित आवेदन पूर्व में निराकृत किया है व इस हेतु तत्संबधी जमानत आवेदन उस न्यायाधीश के न्यायालय को स्वतः अंतरित माना जावेगा।

2. सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति में नये जमानत आवेदन पेश होने पर उनकी सुनवाई सोमवार, मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत अनु.जाति अनु. जन. अत्या. नि. अधि.) सीधी के न्यायालय द्वारा, बुधवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा, गुरूवार, शुक्रवार को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा व शनिवार को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा की जावेगी।

3. अपर सत्र न्यायाधीशों के रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त प्रकार के आपराधिक, निष्पादन, विविध प्रकरण तथा आवेदनों का निराकरण (जिनमें मान्नीय उच्चतम न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रकरण भी शामिल हैं) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा किया जावेगा व उनका न्यायालय रिक्त होने पर आगे वर्णित "चार्ज प्रभार" की व्यवस्था अनुसार प्रभारी न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

4. समस्त न्यायाधीश वारंट (चाहें वह जमानती,अजमानती हों अथवा कुर्की, कब्जा अथवा अन्य प्रकार के वारण्ट हों) पर संबंधित लिपिक के लघु हस्ताक्षर सील के नीचे होने तथा अभिलेख से वारण्ट के सही होने की पुष्टि करने के उपरांत वारण्ट पर हस्ताक्षर करेगें।

5. प्रकरणों में जो संपत्ति जमा की जावे, वह पूरी होने की संतुष्टि करने के बाद व न्यायाधीश की मुद्रा के नीचे संबंधित लिपिक के संक्षेप में हस्ताक्षर करने के उपरांत ही न्यायाधीश माल पर्चे पर हस्ताक्षर करेगें।

6. तहसील रामपुर नैकिन के न्यायालय की श्रृंखला अवधि उपरांत वहां के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित त्वरित प्रकृति के प्रकरणों व आवेदनों का निराकरण जिला मुख्यालय सीधी में कार्यरत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी के न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

7. यदि कोई ऐसा मामला/आवेदन आदि पेश होता है, जिसका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में न हो तो वह संबंधित तहसील/जिले के वरिष्ठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा सुना व निराकृत किया जावेगा।

:: चार्ज प्रभार ::

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 10 (3) के अंतर्गत कार्यरत न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में आवश्यक आपराधिक कार्य के लिए पूर्व के आदेशों को अतिष्ठित करते हुए निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है, जो दिनांक–06/01/2022 से प्रभावशील होगा :–

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क.3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3	4
1.	सत्र न्यायाधीश, सीधी	विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत अनु.जाति अनु. जन. अत्या. नि. अधि.), सीधी	पंचम अपर जिला न्यायाधीश सीधी
2.	विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत अनु.जाति अनु. जन. अत्या. नि. अधि.) सीधी	पंचम अपर जिला न्यायाधीश सीधी नोट– मान.उच्च न्याया. के नोटि. कं.सी/2262/III–6–3/89 व सी/2264/III–6–3/90 जबलपुर दि. 14.09.2020 अनुसार अनु.जाति अनु. जन. अत्या. नि. अधि. व एन.डी.पी.एस. एक्ट के समस्त त्वरित आवेदनों का निराकरण वरिष्ठतम अति. सत्र न्यायाधीश द्वारा, उनकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठतम अति. सत्र न्यायाधीश द्वारा व कोई वरिष्ठतम अति. सत्र न्यायाधीश उपलब्ध न होने पर सत्र न्यायाधीश द्वारा निराकरण किया जाएगा तथा उक्तानुसार सभी के अनुपलब्ध होने पर, यदि उक्त कार्यवाही अनु. जाति अनु. जन. अत्या. नि. अधि. के तहत होनी है तो जिले के सी.जे.एम. द्वारा निराकरण किया जाएगा।	प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, सीधी
3.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
4.	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
5.	द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश
6.	तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीधी	पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी
7.	चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश सीधी	तृतीय अपर जिला न्यायाधीश सीधी	द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश सीधी
8.	पंचम अपर सत्र	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के	प्रथम अपर सत्र

क्र.	न्यायालय का नाम	प्रथम अधिकृत न्यायाधीश	कॉलम क.3 के न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर द्वितीय अधिकृत न्यायाधीश
1	2	3	4
	न्यायाधीश सीधी	न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश	न्यायाधीश सीधी
9.	अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय, रामपुरनैकिन	प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी	चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सीधी

नोट– उक्त प्रथम एवं द्वितीय अधिकृत न्यायाधीशों के अवकाश पर होने पर उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा आवश्यक कार्य निपटाया जायेगा।

(अमिताभ मिश्र)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी, म.प्र.

पृ. कमांक 30 /एक–9–1/90 (भाग–2) सीधी, दिनांक 06/01/2022

प्रतिलिपिः–

1. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़) सीधी,
2. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीधी,
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी,
4. अपर सत्र न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय, रामपुरनैकिन,
5. रीडर, सत्र न्यायाधीश सीधी,

   .... की ओर सत्र खण्ड सीधी का विभाजन आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/मझौली/रामपुरनैकिन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग सीधी की ओर इस न्यायिक स्थापना के वेवसाइट/समस्त संबंधितों की ईमेल आई.डी. पर अपलोड कराए जाने हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी, म.प्र.